# झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

**डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0–1330 वर्ष 2017**

विजय प्रसाद ..... ..... याचिकाकर्ता

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य।
2. आयुक्त–सह–सचिव, मानव संसाधन विभाग, राँची।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, मानव संसाधन विकास विभाग, राँची।
4. क्षेत्रीय उप–शिक्षा निदेशक, पलामू डिवीजन, मेदिनीनगर, पलामू।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, पलामू।

.... ..... उत्तरदातागण

**कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री एस0एन0 पाठक**

याचिकाकर्ता के लिए :– श्री शिव कुमार सिंह, अधिवक्ता श्री प्रणव कुमार पॉल

उत्तरदाताओं के लिएः– श्री श्रीजीत चौधरी, अधिवक्ता

09 / दिनांक 30 अक्टूबर, 2017

याचियों के विद्वान अधिवक्ता और प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

. रिट याचिका में, याची ने 29.12.2004 दिनांकित ज्ञापन संख्या 167 (अनुलग्नक–3) को रद्द करने के लिए प्रार्थना की है, जिसमें याची का वेतन 01.01.1982 या नियुक्ति की प्रारंभिक तिथि के बजाय 01.04.1986 से पुनः निर्धारित किया गया है।

यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता को परिपत्र और सरकार के आदेश के अनुसार नियुक्त किया गया था। याचिकाकर्ता को उसका वेतन 01.01.1982 या नियुक्ति की प्रारंभिक तिथि से मिला। इस प्रकार वह उक्त तिथि से अपने वेतन के निर्धारण का हकदार है। हालांकि, आक्षेपित पत्र द्वारा, प्रत्यर्थियों ने मनमाने ढंग से याचिकाकर्ता के वेतन के निर्धारण की तारीख को उक्त पत्र के खंड 3 द्वारा 01.04.1986 से बदल दिया है। इसी प्रकार, ऐसे स्थानांतरणा से व्यथित व्यक्तियों, अर्थात् तारकेश्वर प्रसाद साहू और अन्य ने इस न्यायालय के समक्ष डब्ल्यू0पी0 (एस0) संख्या 3122/2005 में इस आदेश को चुनौती दी थी। उक्त रिट याचिका का निपटान दिनांक 14.10.2009 के आदेश द्वारा किया गया था, जिसके द्वारा अधिसूचना के आक्षेपित खंड 3, जो वेतन के निर्धारण की तारीख के स्थानांतरण के बारे में था, को रद्द कर दिया गया था। याचिकाकर्ता का मामला पूरी तरह से इस अदालत के कथित निर्णय से आच्छादित है और तत्काल रिट याचिका को उसके शर्तों के अनुससार निपटाया जाना चाहिए।

प्रत्यर्थियों की ओर से पेश होने वाले विद्वान अधिवक्ता कथित तथ्यों और प्रतिवादों पर कोई विवाद नहीं किया है।

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि रिट याचिका (एस) संख्या 3122/2005, डब्ल्यू0 पी0 (एस) संख्या 4791/2016 एवं सदृश मामले एवं डब्ल्यू0पी0 (एस) संख्या 6325/2016 में इसी तरह के मुद्दे को विस्तृत कारणों के साथ इस न्यायालय द्वारा निर्णित किया गया है और चूंकि यह रिट याचिका कथित निर्णयों से आच्छादित है, इसलिए इसका निपटान उसके शर्तों के अनुसार किया जा रहा है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, रिट याचिका अनुज्ञात की जाती है। आक्षेपित पत्र की धारा 3 (अनुलग्नक–3) को रद्द कर दिया जाता है।

प्रत्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि वे इस माननीय न्यायालय के डब्ल्यू0पी0 (एस0) संख्या 3122/2005 में दिए गए निर्देशों/टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ता के मामले पर विचार करें और याचिकाकर्ता को समान लाभ प्रदान करें।

तद्नुसार, इस रिट याचिका का निपटान किया जाता है।

[(डॉ0) आनंदा सेन, न्याया0]